वन संरक्षण एवं प्रबंधन : जिला शिवपुरी के संदर्भ में

''वन संरक्षण एवं प्रबंधन मुख्य रूप से पर्यावरणीय स्थिरता, पारिस्थितिकीय संतुलन बनाये रखने की प्रक्रिया को सुनिश्चित करता है। जिसमें वायुमण्डलीय संतुलन भी सम्मिलित होता है। जो सभी सजीवरूपों, मानव, पशु एवं पौधों के आहार के लिए महत्वपूर्ण होता है। इसके अन्तर्गत प्रत्यक्ष एवं व्यक्तिगत लाभों की व्युत्पत्ति को गौण एवं आधारहीन मानते हुए स्वपोषी विकास की प्रमुखता को स्पष्ट किया जाता है।''

डॉ. विष्णु स्वरूप गोस्वामी

प्रस्तावना

वन संरक्षण के परिणाम वनों की सुरक्षाकी उपयोगिता प्राकृतिक संतुलन को बनाये पर निर्भर करते हैं। सम्पूर्ण वन प्रबंधनरखने में भी है। वन जल एवं वायु क्षरण सुरक्षा की आधारशिला पर टिका है। इससे मृदा का संरक्षण करते हैं, ये वर्षा जल प्रकार वन संरक्षण एवं प्रबंधन एक-दूसरेके बहाव को रोककर उसकी गति एवं के पूरक एवं पोषक हैं। वनों का सदैव हीबाढ़ की संभावना को कम करते हैं। जल मानव जीवन में महत्वपूर्ण योगदान रहासंरक्षण में सहयोग प्रदान करते हैं। है। आदिमानव तो अपनी लगभग सभीआवरण, मृदा नमी की वाष्प को रोकता है आधारभूत आवश्यकताओं की पूर्ति हेतुएवं वायुमण्डल में कार्बनडाई ऑक्साइड पूर्णतः वनों पर ही निर्भर रहता था। मानवएवं ऑक्सीजन के क्रांतिक संतुलन को सभ्यता के विकास के साथ-साथ मानवबनाये रखते हैं। ये कार्बनडाई ऑक्साइड, तथा वनों के संबंधों में परिवर्तन आतेसल्फरडाई ऑक्साइड एवं अन्य गये, लेकिन आज भी किसी न किसी रूपहानिकारक गैसों का वायुमण्डल से में वनों पर निर्भरता बनी हुई है। जिले कीअवशोषण कर पर्यावरण को स्वस्थ्य सहरिया जनजाति आज भी वनों में निवासबनाये रखते हैं। ये वायु मण्डलीय आंद्रता कर रही है, और पूर्णतः वन उत्पादों परको अवशोषित करने के कारण बनकर वर्ष निर्भर है। आंशिक रूप से ही ये अन्यमें सहायक होते हैं। ग्रीष्म ऋतु में व्यवसायों में संलग्न है। तापमान को घटाते हैं एवं शीतकाल में

वनों का महत्व

तापमान वृद्धि में सहायक होते हैं। वनभूमि

AIRO JOURNALS

की उर्वरता वृद्धि में सहायक होते हैंजबकि इस अनुपात में भूमि का विस्तार इनसे मिट्टी को जीवाष्म की प्राप्ति होतीबढ़ाना असंभव है, अतः कृषिक्षेत्र बढ़ाया है। ये वन्य जीव जन्तुओं के लिये भोजनकाया है, और पशुओं की संख्या वृद्धि के तथा आवास उपलब्ध कराते हैं। इन वनोंसाथ चारागाहों के लिये अधिक क्षेत्र की की महत्ता जीवन जगत के लिये उपयोगिआवश्यकता हुई है। इस प्रकार आगामी है। वर्षों में भूमि पर जनसंख्या दबाब बन वन सम्पदा परिवर्तनशील एवं प्रकृतिप्रदत्तविनाश का प्रमुख कारण सिद्ध होगा। सम्पत्ति है, इसलिये इसके उचित प्रबंधवर्तमान समय में औद्योगीकरण का वैज्ञानिक एवं तकनीकी संरक्षण प्राप्त होनेविस्तार, नवीन शहरों का विकास, सड़कें पर शीघ्र विनिष्ट नहीं होता। यह्एवं रेल मार्गों का फैलाव, बांध एवं विनाशशील है, जिसे आसानी से समाप्तबहुउद्देशीय योजनायें खदान, कृषि विस्तार किया जा सकता है। क्षेत्र का भविष्य उन्हेतु क्षेत्रों पर आर्थिक दबाव बढ़ता जा रहा प्रकृति की निर्दयी शक्तियों के साथहै। इसके साथ ही वन संसाधन को क्षति संतुलन रखने पर संबद्ध है। जिन्हें किसीपहुंचाने वाले कई कारक हैं। भी प्रकार का हस्तक्षेप सहन नहीं होता।

आगामी वर्षों में जिले की स्थिति क्या**वनों को क्षति पहुंचाने वाले कारक :**

होगी इस बात पर निर्भर करता है किवनों को क्षति विभिन्न कारकों से होती है यहाँ के लोग अपनी उपजाऊ भूमि कजिसमें सबसे ज्यादा प्रभावशाली मनुष्य है। संरक्षण किस प्रकार और किस हद तकमनुष्य के साथ-साथ वन्य प्राणी, पालतू करते हैं, और प्रकृति के विरूद्ध अपनीमानवों एवं विभिन्न कीटों से भी वनों को भौतिक प्रतिरक्षा का व्यूह किस तरहक्षति पहुंचती है। मनुष्य द्वारा वनों को बनाते हैं''[9]। क्षति अवैध कटाई, आग एवं पालतू वनों का क्षेत्रफल दिन-प्रतिदिन कम होतामानवों की अत्यधिक अनियंत्रित चराई से जा रहा है और उत्पादन भी निरन्तर घटतापहुंचती है। वन्य प्राणी एवं कीट वनों में जा रहा है। इसका प्रमुख कारण बढ़तीसदैव से साथ-साथ रहते आये हैं, परन्तु जनसंख्या है। जनसंख्या वृद्धि के कारणइनसे वनों की क्षति नहीं के बराबर होती भोज्य पदार्थों की माँग बढ़ती जा रही हैहै। जब तक मनुष्य इनमें अनावश्यक रूप

से विध्न उत्पन्न न करे इस प्रकार वनोंजानबूझकर अधिक आर्थिक लाभ हेतु आग के विनाश में मनुष्य की अहम् भूमिका हैलगाई जाती है। वनक्षेत्रों में बीड़ी, सिगरेट जो निम्न रूपों में दिखाई देती है। के सुलगते टुकड़े एवं वनों से लगे खेतों

१- अवैध कटाई : में झाड़ एवं कचड़ा जलाने पर आग वनों

शिवपुरी जिले के वनों में अवैध कटाईमें फैल जाती है।

एक ज्वलंत समस्या है, जिसके कारण**३- जानवरों एवं कीटों से वन क्षति :**

अधिवासों से लगे वनों की दयनीय स्थितिजानवरों एवं कीटों द्वारा भी वनों को हानि पायी जाती है। क्षेत्रीय लोगों को वनों कीपहुंचाई जाती है। जिससे वनों की वृद्धि सुरक्षा के प्रति कोई रूचि नहीं है, औरनियंत्रित होने के साथ-साथ विनिष्ट भी वनों की सुरक्षा एवं संरक्षण कीहोती है, जिसका प्रभाव वनस्पति एवं आवश्यकता से संबंधित जानकारी नहींवनस्पति क्षेत्र पर पड़ता है। वनों से लगे और न ही वन संरक्षण के प्रति उनकेग्रामों में मवेशी की संख्या अत्याधिक है विशेष भावना है। यहाँ यह धारणा आज भीऔर ये समस्त पशु वनों में प्रतिदिन चराई विद्यमान है कि वन प्रकृति की असीम देनहेतु भेजे जाते हैं जिसके फलस्वरूप वनों है, और वनों से लकड़ी काटना जन्मसिद्धचार चराई का दबाब अधिक बढ़ा है।

अधिकार मानते हैं। वनों से लगे गाँवों की**वन संरक्षण के लिये किये गये उपाय एवं**

आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुये**प्रयास :**

यह मानना भी गलत नहीं होगा कि वनों**४- वनोपज एवं निर्वतन :**

पर इनकी निर्भरता इनकी विवशता है।वन से वर्ष १९७६ के राष्ट्रीयकरण के खेतों की बागड़ लगाने, भोजन पकाने हेतुश्चात् वनोपज, दोहन एवं निर्वतन का लकड़ी, खेती के औजार बनाने हेतुकार्य विभागीय तौर पर ही किया जा रहा इमारती लकड़ी की आवश्यकता एवंहै जो मुख्य वन संरक्षण के द्वारा दिये गये जीविकोपार्जन हेतु वनोंपज पर ग्रामीणों कीमार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुरूप संचालित निर्भरता को नकारा नहीं जा सकता है। किया जा रहा है। शिवपुरी वनमण्डल में

२- वनों में आग : मुख्य वनोपज खैर वृक्ष एवं जलाऊ चट्टे

वनों में आग लगने का मुख्य कारणहैं। खैर वृक्ष निर्वतन अनुबंध के अनुरूप वनों से ही है। अनेकों बार वनों मेंकत्था मिल शिवपुरी एवं जलाऊ लकड़ी का

परिवहन निस्तार एवं उपभोक्ता काष्ठकारोंवनों में अग्नि सुरक्षा के उपायों की द्वारा किया जाता है, और विभागीय दरेंसफलता स्थानीय लोगों के सहयोग पर पर और अधिक लोगों को जलाऊ लकड़ीनिर्भर करती है। ग्राम पंचायतों का उपलब्ध कराई जाती है। शिवपुरी वनमण्डलसहयोग आवश्यक है। स्थानीय लोगों को में कुल्लू गोद का उत्पादन होता थाअग्नि सुरक्षा हेतु जाग्रत किया जाना अत्यधिक टेपिंग के कारण कुल्लू वृक्षों कीचाहिये। वन विभाग के अतिरिक्त अन्य संख्या में भारी कमी हुई है, जिसकेविभागों की भी भागीदारी भी सुनिश्चित कारण इनके संरक्षण हेतु शासन ने इनकोहोनी चाहिये।

संरक्षण प्रदान कर टेपिंग बंद करा दी है। **५- भू-संक्षरण :**

२- अनियमित दोहन : शिवपुरी वन मण्डल का अधिकांश परिक्षेत्र निर्धारित वार्षिक कूपों के अतिरिक्त अन्यसिंध, बेतवा, कून्हों एवं पार्वती नदियों का किसी क्षेत्र में विदोहन अनियमित श्रेणी केजलग्रहण क्षेत्र है। इन नदियों पर अनेक अन्तर्गत आता है। सामान्यतः वनों केलघु एवं मध्यम परियोजनायें संचालित हैं। किसी भी प्रकार के अनियमित दोहन केइनकी लम्बी अवधि के लिये भूमि एवं जल अनुमति नहीं दी जानी चाहिये। संरक्षण के लिये भू-संक्षरण रोकना

३- चिराई नियंत्रण : आवश्यक है।

जिले के अधिकांश वनखण्ड, कृषि क्षेत्रों**६- अवैध कटाई :**

एवं ग्रामों से घिरे हुये हैं। ग्रामों मेंअवैध कटाई के नियंत्रण हेतु वन सुरक्षा मवेशियों को खूंटे पर बांधकर खिलाने कीसंसाधनों के अभाव को दूर किया जाना प्रथा नहीं है। फलतः वनों पर चराई कआवश्यक है। वन कर्मियों के अधिकारों में अधिक दबाब है। चराई हेतु वन क्षेत्रों कीवृद्धि, दूरभाष एवं वायरलेस सेटें से आवश्यकता को देखते हुये चराई प्रतिबंधसुसज्जित किया गया है। वनों की सुरक्षा लगाये गये हैं। वन मण्डलाधिकारी चराईएवं वृद्धि के प्रयास जन सहयोग के बिना हेतु प्रतिबंधित क्षेत्रों की सूची प्रकाशित करपूर्णतः सफल नहीं हो सकते हैं। इस हेतु निकटवर्ती ग्राम पंचायतों को उपलब्धग्राम वन समितियों एवं सुरक्षा समितियों कराते हैं। का गठन किया गया है।

४- अग्नि सुरक्षा : **७- वन नीति एवं अधिनियम :**

म.प्र. शासन द्वारा वनों के संरक्षण हेतु विभिन्न अधिनियम पारित किये गये हैं, जिनमें वन एवं वन्य प्राणी संरक्षण की दृष्टि से निम्नलिखित प्रमुख हैं- भारतीय वन अधिनियम १९२७, म.प्र. वन उपज अधिनियम १९६९, म.प्र. तेन्दु पत्ता अधिनियम १९६४, वन्य प्राणी अधिनियम १९७२, म.प्र. काष्ट चिरान अधिनियम १९८४, भारतीय दण्ड संहिता।

शिवपुरी वन मण्डल में वन एवं वन्य प्राणी अधिनियमों का पालन यथासंभव किया जा रहा है।

निष्कर्ष :

वन संसाधन का महत्व सर्वोपरि है। वनों के अभाव में मानव जीवन ही नहीं, अपितु जन्तु जीवन की कल्पना संभव नहीं है। प्रत्यक्ष रूप से शाकाहारी जीव-जन्तु वनस्पति पर निर्भर करते हैं, एवं मांसाहारी जीव शाकाहारी एवं अन्य जन्तुओं पर निर्भर करते हैं। साथ ही जीवनदायनी वायु ऑक्सीजन का चक्र भी पूरा करते हैं। इस प्रकार वनों का उचित दोहन ही उपयोगी है। जहाँ पर वनस्पति का सही उपयोग नहीं किया गया, वह क्षेत्र वीरान दृष्टिगोचर होता है, इसलिये वनस्पति के उपयोग पर विशेष बल दिया जाना चाहिये।

संदर्भ :

सागरीय, के.पी. (१९६७) वन एवं वानिकी, नेशनल बुक ऑफ इण्डिया नई दिल्ली, पृष्ठ १५६

२- ळमवहवतलए ळण्त्ण्ए भ्थ्वतमेज म्बवदवउपबेए छण्ल्ण्ए १९७२